भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या **1162**

जिसका उत्‍तर शुक्रवार, 27 जुलाई, 2018/5 श्रावण, 1940 (शक) को दिया जाना है।

**आईएफएफसीओ में अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें**

**1162. सरदार बलविंदर सिंह भुंडरः**

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इंडिया फार्मर्स फर्टिलाइजर को-ऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) के प्रबंध निदेशक और उनके परिवार के सदस्यों सहित इसके अधिकारियों के संबंध में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और कदाचार से संबंधित अनेक प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संपूर्ण ब्यौरा क्या है और जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार, कदाचार और अनियमितताओं के कथित आरोप लगे हैं] उनमें से प्रत्येक के अलग-अलग नाम क्या हैं; और

(ग) इफको के अधिकारियों पर लगे आरोपों की जांच करने वाली जांच एजेंसियों के नाम क्या हैं और 31 मई, 2018 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति क्या है?

**उत्‍तर**

**योजना मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(राव इन्‍द्रजीत सिंह)**

**(क):** जी, हां।

**(ख):** इफ्को में भ्रष्‍टाचार और अनियमितताओं के मामलों के संबंध में इस विभाग में प्राप्त अनेक शिकायतों का ब्यौरा **‘अनुलग्नक- “क”** में दिया गया है।

**(ग):** उर्वरक विभाग ने इफको में भ्रष्‍टाचार और अनियमितताओं से जुड़ी अनेक शिकायतों को जांच हेतु सीबीआई को भेज दिया है और उनकी रिपोर्टें प्रतीक्षित हैं।

\*\*\*\*\*\*\*\*

**-: 2 :-**

**अनुलग्नक-क**

**विभिन्न शिकायतों का ब्यौरा इस प्रकार है:-**

1. दिनांक 1.04.2013 की एक शिकायत श्री निशिकांत दुबे, संसद सदस्य से प्राप्त हुई। शिकायत को इस विभाग के दिनांक 14.06.2016 के पत्र के जरिये सीबीआई को भेज दिया गया है।
2. दिनांक 6.05.2016 की एक शिकायत श्री सुधीश कुमार त्रिपाठी से प्राप्त हुई। शिकायत को इस विभाग के दिनांक 5.09.2016 के पत्र के जरिये सीबीआई को भेज दिया गया है।
3. दिनांक 15.09.2017 की एक शिकायत ग्लोबल वेलनेस फाउंडेशन से प्राप्त हुई। शिकायत को इस विभाग के दिनांक 21.11.2017 के पत्र के जरिये सीबीआई को भेज दिया गया है।
4. दिनांक ‘शून्य’ की एक शिकायत श्री कुल भूषण राय चूचड़ा से दिनांक 16.06.2017 के कार्यालय ज्ञापन के जरिये सीवीसी से प्राप्त हुई। शिकायत को इस विभाग के दिनांक 01.05.2018 के पत्र के जरिये सीबीआई को भेज दिया गया है।
5. दिनांक 27.04.2017 की एक शिकायत श्री सी. बी. कटिहा से प्राप्त हुई। शिकायत को इस विभाग के दिनांक 14.09.2017 के पत्र के जरिये सीबीआई को भेज दिया गया है।

उपर्युक्त सभी मामलों में, सीबीआई से अनुरोध किया गया है कि इन मामलों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी जाए।

**उपर्युक्त शिकायतों का सार इस प्रकार है:-**

उपर्युक्त शिकायतों में मुख्‍यत: इफ्को द्वारा धन के दुरुपयोग और फर्जी तुलन-पत्र के साथ-साथ निधियों का कथित भारी कुप्रबंधन, इफ्को द्वारा स्‍थापित लेखांकन प्रक्रियाओं का उल्‍लंघन करके गलत प्रकटीकरण तथा पणधारकों, विशेषत: बैंकों को धोखा देने, इफ्को बोर्ड द्वारा बहुराज्‍यीय सहकारी समिति अधिनियम से छेड़छाड़ तथा सोसायटी की उप-विधियों से छेड़छाड़ और सरकारी साम्‍या (इक्विटी) का गैर-कानूनी प्रत्‍यावर्तन, यू.एस. अवस्‍थी, प्रबंध निदेशक और उनके पुत्रों, उनके संबंधियों और इफको से जुडे उनके मित्रों द्वारा लगातार अपनाई गई मनी लॉड्रिंग प्रकिया, गेस्‍ट हाऊस और पॉश बंगले को हथियाने के लिए यू.एस‍. अवस्‍थी द्वारा अपनाए गए गैर-कानूनी और विधि-विरुद्ध तरीके; यू.एस. अवस्‍थी द्वारा किसान इंटरनेशनल टेड्रिंग खोलकर राजसहायता धोखाधड़ी; कच्‍चे मालों और तैयार उर्वरक के आयातों में भारी गैर-कानूनी कमीशन लेकर सोसाइटी को भारी नुकसान पहुंचाने, अपनी अधिवर्षिता अवधि को गैर-कानूनी तरीके से 65 वर्ष से आगे बढ़ाने, श्री यू. एस. अवस्थी और अन्य कार्यवाहक निदेशकों की परिलब्धियों को बढ़ाने, बहुराज्‍यीय सहकारी समिति अधिनियम का उल्लंघन करके गोपनीय तरीके से दान देकर राजनैतिक दलों से पक्ष-समर्थन प्राप्त करने, इफको बोर्ड द्वारा सहकारी कानून से विपथन करने अर्थात् इफको बोर्ड में महिला निदेशक अथवा अनुसूचित जाति का निदेशक नियुक्त न करने और निदेशक मंडल में 30 निदेशकों को नियुक्त करने, बिक्री से छेड़छाड़ करके और अधिक राजसहायता का दावा करके सरकार के साथ धोखाधड़ी करने, प्रबंध निदेशक, इफको द्वारा इफको में उपयुक्त पद पर अपने खास व्यक्ति रिश्‍तेदारों को लगा देने और इफको के संसाधनों और सुविधाओं का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए गए हैं। ‍

\*\*\*\*\*\*\*